फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम लक्ष्मणगढ

रमनलाल बनाम रामबक्स वगै0

प्रा0 पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 (स्थगन प्रा0 पत्र)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
06.01.2021	आज यह प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 वकील सायल/प्रार्थी द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर मूल वाद के साथ पेश किया, कार्यालय रिपोर्ट ली गई। सायल/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र एवं जमाबंदी सम्वत् 2071–2075 की फोटो प्रति व अन्य दस्तावेजात की फोटो प्रति पेश कर गैर सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। हमने वकील सायल/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ पेश दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी/सायल के पक्ष में होना प्रतीत होता है । अतः गैरसायल/अप्रार्थी को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.02.2021 तक पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी 734,736,741 वाके ग्राम न्याणा तहसील गोविन्दगढ को दीगर व्यक्तियों को रहन बय मुंतकिल ना करे तथा सायलान के हिस्से मुताबिक शांतमय कब्जे कास्त में रूकावट मजामत पैदा नहीं करें। मौका व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत रखी जावे। यदि उक्त आदेश की पालना में कोई ऐतराज हो तो नियत दिनांक 22.02.2021 को उपस्थित न्यायालय होकर जाहिर करे की क्यो ना उक्त आदेश ताफैसला दावा संपुष्ट कर दिया जावे। आदेश जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब कर दिनांक 22.02.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, अलवर	

22/2/21 - पत्रावली पेश। व0फ0 उपनी वाले जवाब पेश दिनांक 16/3/21 को पेश हो

16/3/21

आज यह पत्रावली पेश हुई। आज बार एसोसियेशन ने कार्य स्थगित कर रखा है P. O. साहब भ्रमण पर हैं। पत्रावली दिनांक 27/4/21 को पेश हो

Scanned with CamScanner

27/5/21 [illegible] ......। [illegible] दिनांक 22/6/21 को पेश हो। [illegible]

22/6/21 [illegible] ......। [illegible] दिनांक 17/8/21 को पेश हो। [illegible]

17/8/21 पत्रावली पेश। [illegible] जवाब दावा हेतु 27/10/21 को पेश हो।

27/10/21 [illegible] ......। [illegible] दिनांक 8/12/21 को पेश हो। [illegible]

25/11/21 पत्रावली SDO [illegible] से प्राप्त होकर पेश हुई।
प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित "प्रशासन गाँवो के संग अभियान-2021" में रखने योग्य पाया जाता है। अतः पत्रावली राजस्व अभियान में पंचायत मुख्यालय [illegible] पर दिनांक 4/1/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

4/1/22 पत्रावली "प्रशासन गाँवो के संग अभियान-2021" में पेश हुई। पक्षकारान् [illegible] नहीं होने के कारण प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका। अतः पत्रावली दिनांक 27.1.22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

24/1/22 प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थीगण के प्रा०पत्र पर पत्रावली मूल वाद के साथ आज पेश हुई। मूल दावा वादीगण के प्रा०पत्र पर खारिज हो गया है। अतः प्रा०पत्र 212 को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रा०पत्र 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संग्रह में जमा हो/सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

[illegible]
[illegible]

Scanned with CamScanner